



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
के.वि.सं.कॉम्प्लेक्स, एन सी एच कालोनी,
कांजूरमार्ग (पश्चिम) मुंबई-400078
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Zonal Institute of Education & Training
K.V.S. Complex, N.C.H. Colony,
Kanjurmarg (W), Mumbai-400078.
दूरभाष/ Tel. 20858264
ई-मेल/E-mail : zietmumbai@gmail.com
WEBSITE: www.zietmumbai.gov.in

फा.35005-30/केविसं(जीट मुंबई)/2026-27/ 21519 - 21568

दिनांक:25.08.2026

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली के पत्र संख्या F.11-55/2000-KVS(Vig.)/Pt.1/112225 दिनांक 05.03.2019 के अनुपालन में तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4(2) के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार, जो दिनांक 09.12.2013 से प्रभावी है, के.वि.सं., आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई के कार्यस्थल पर कार्यरत महिला कर्मचारियों से संबंधित यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण हेतु आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee - ICC) का गठन किया गया है। यह समिति आगामी तीन वर्षों की अवधि तक मान्य होगी।

S.No.	Name of the Committee Member	Designation	Contact Address with Mobile Number
1	Smt. Prabha Minz, Assistant Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Mumbai	Presiding Officer	KVS, RO, Mumbai - 9424201468
2	1.Dr. Anjana Amit Thadani, Pediatrician, Director of NGO (PEHL) Niramaya Hospital, Chembur, Mumbai 2.Smt. Asha Bhatt, President, Manthan Foundation, Mumbai	NGO Members	1.Director of NGO (PEHL) Chembur, Mumbai - 9820304802 2.President Manthan Foundation Mumbai - 7350016571
3	Mrs. Seema Mishra, Training Associate (Economics), Kendriya Vidyalaya Sangathan, ZIET Mumbai	Member	TA(Eco.), KVS, ZIET Mumbai 9594141798
4	Mr. Nilesh Thangan, Training Associate (Physics), Kendriya Vidyalaya Sangathan, ZIET Mumbai	Member	TA(Phy.), KVS, ZIET Mumbai 9422543483

समिति पीड़िता द्वारा की गई शिकायतों के निवारण हेतु उत्तरदायी होगी तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करेगी।

टी. प्रभुदास
(टी. प्रभुदास) 25/08/26
निदेशक

प्रतिलिपि:

1. आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्ष (Presiding Officer) एवं समिति के सभी सदस्यों को।
2. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन/शैक्षणिक/कार्मिक/प्रशिक्षण), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त/निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/सभी आं.शि.एवं प्र.सं. को सूचनार्थ।
4. सहायक आयुक्त (सतर्कता), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
5. प्रशिक्षण सहयोगी (पुस्तकालय), के.वि.सं., आं.शि.एवं.प्र.सं., मुंबई को इस आदेश को आं.शि.एवं.प्र.सं., मुंबई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. के.वि.सं., आं.शि.एवं.प्र.सं., मुंबई के समस्त कर्मचारियों को सूचनार्थ।